प्रश्न सं. [क्र. 383]

परिशिष्ट-एक

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 383 अतारांकित की जानकारी

जिला	बीमित कृषक (एप्लीकेशन आईडी)	कृषक प्रीमियम (राशि रू.)
नरसिंहपुर	49503	29619218
सागर	147353	115153387
दमोह	56835	41500608
कुल योग	**253691**	**186273213**

आंकडे अनंतिम हैं

उप संचालक (फसल बीमा)

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

परिशिष्ट–2/1

विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2021 के प्रश्न क्रमांक 383 अतारांकित की जानकारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते है ।

i **बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने का जोखिमः– अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरित मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होनाः–**

बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल के कुल रकबे के 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर यह जोखिम लागू होगा । इस प्रावधान के अंतर्गत बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा तथा प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरान्त संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा । क्षति की अधिसूचना जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी ।

ii **फसल मौसम में मध्य में हानिः–** खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक) की अवस्था में:– सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानिः–

फसल अवस्था के बीच में फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज सामान्य उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर यह प्रावधान लागू होगा । इस प्रावधान के अंतर्गत बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जावेगा । क्षति की अधिसूचना जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी ।

भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज–अनुमानित उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि का 25 \% (अधिकतम)}$$

iii **कटाई उपरांत क्षतिः–** कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के कारण फसल क्षतिः–

कटाई उपरान्त फसल क्षति का आवरण एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । इस प्रावधान अंतर्गत सर्वे से प्राप्त क्षति प्रतिशत के आधार पर दावा राशि की गणना की जायेगी ।

iv **क्षेत्रीय आपदाः**– क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओला वृष्टि, भू–स्खलन और जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली कडकने से प्राकृतिक आग के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षतिः–

क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । इस प्रावधान अंतर्गत सर्वे से प्राप्त क्षति प्रतिशत के आधार पर दावा राशि की गणना की जायेगी ।

अंतिम दावा राशि की गणनाः– (फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर)

:. फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर निम्नानुसार सूत्र से अंतिम दावा राशि की गणना की जावेगी ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज–वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

थ्रेशोल्ड उपज = औसत उपज X क्षतिपूर्ति स्तर
क्षतिपूर्ति स्तर मध्यप्रदेश में 80 प्रतिशत निर्धारित है ।

औसत उपज = विगत 7 वर्षों की उत्पादकता का औसत जिसमें से 2 वर्ष प्राकृतिक आपदा के घटाये जावेंगें ।

अर्थात थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज कम होने पर ही क्षति पूर्ति देय होगी । फसल मौसम के मध्य में फसल क्षति, क्षेत्रीय आपदा एवं कटाई उपरांत क्षति जोखिमों में देय दावा राशि का अंतिम दावा राशि में समायोजन होगा । यदि कृषक को अंतिम दावा से अधिक का भुगतान हुआ है तो शेष राशि कृषक से वसूल नहीं की जायेगी ।

परिशिष्ट–2 (पृष्ठ–1 से 2 तक)

उप संचालक (फसल बीमा)

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल,